लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की दिनांक 10 जनवरी, 2014 को सांय 4.00 बजे मीटिंग हाल में आहूत की गयी आपात बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:–

1.	**डा0 एस0 बी0 निमसे**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	प्रो0 ए. के. सेनगुप्ता	प्रति–कुलपति	सदस्य
3.	श्री विद्यासागर शुक्ल	विशेष सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन लखनऊ	सदस्य
4	श्री अशोक कुमार	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	कै0 अमिताभ प्रकाश	कुलसचिव	सदस्य
6.	प्रो0 अकील अहमद	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	प्रो0 ए. चटर्जी	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–1

दिनांक 10 जनवरी, 2014 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की आपात बैठक में बिन्दु संख्या–1 के प्रस्ताव अनुसार समिति ने संज्ञान में लिया कि निम्न पाठ्यक्रम विगत एक दशक से अधिक समय से चलाये जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में कोर फैक्ल्टी न होने के कारण अतिथि शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिया जा रहा है। योग साईंस पाठ्यक्रम में केवल एक शिक्षक कोर फैकल्टी के रूप में कार्यरत है।

1. **जर्नलिस्म एवं मास कम्युनिकेशन** : **02 सहायक प्रोफेसर**
2. **होम साईंस** : **02 सहायक प्रोफेसर**
3. **योग साईंस** : **02 सहायक प्रोफेसर**
4. **भूगोल** : **02 सहायक प्रोफेसर**
5. **पर्यावरण विभाग** : **02 सहायक प्रोफेसर**
6. **कम्प्यूटर साईंस** : **03 सहायक प्रोफेसर**
7. **शारीरिक शिक्षा विभाग** : **02 सहायक प्रोफेसर**

अतः समग्र विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में दो सहायक प्रोफेसर के पदों के सृजन का निर्णय पाठ्यक्रमों की आय–व्यय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संस्तुत किया गया। इस संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि यह नियुक्तियाँ पूर्णतयाः संविदा के आधार पर न्यूनतम तीन वर्ष अथवा अधिकतम् पाँच वर्ष हेतु की जाएगी। प्रत्येक 11 माह पर पुर्नमूल्यांकन के आधार पर सम्बन्धित शिक्षकों का नवीनीकरण किया जाएगा। पाठ्यक्रमों की आय–व्यय को दृष्टिगत रखते हुए शारीरिक शिक्षा विभाग, पत्रकारिता विभाग, कम्प्यूटर साईंस विभाग, गृह विज्ञान विभाग, भूगोल विभाग एवं पर्यावरण विज्ञान में रू0 25,000/– प्रतिमाह की दर से नियत वेतन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी तथा योगिक साईंस में पाठ्यक्रम की आर्थिक स्थिति के

A.K. Sengupta

दृष्टिगत रू0 15,000/– प्रतिमाह की दर से नियत वेतन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। समस्त नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में प्रभावी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी।

अन्य बिन्दु संख्या–1

(क) शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति के वाहय विशेषज्ञों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार रू0 2000/– प्रतिदिन मानदेय दिये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ख) शोध पत्रों के मूल्यांकन हेतु वाहय विषय विशेषज्ञों को रू0 1000/– प्रति अभ्यर्थी की दर से मानदेय दिये जाने हेतु मा0 सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु संख्या–2

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में गठित वित्त समिति एवं अन्य समितियों के वाहय सदस्यों को मा0 कुलपति महोदय के पूर्वानुमोदनोंपरान्त रू0 1,000/– प्रति बैठक मानदेय दिये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कै0 अमिताभ प्रकाश)
कुलसचिव

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0 प्र0 शासन

(विद्यासागर शुक्ल)
विशेष सचिव (वित्त),
उ0 प्र0 शासन

(प्रो0 अकील अहमद)
परीक्षा नियंत्रक

(प्रो0 ए. चटर्जी)
वित्त अधिकारी

A. K. Sengupta

(प्रो0 ए. के. सेनगुप्ता)
प्रति–कुलपति

(डा0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति